



पत्र संख्या- 361/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 30.11.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 30.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- सरायमीर: गोकशी करने वाला 15 हजार रूपये का इनामिया 01 अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा एक बोरी में 28 किलो गोमांस व एक अदद चापड़, एक झोले में एक अदद लोहे की तराजू, एक-एक किलो का दो अदद वाट, एक अदद लकड़ी का ठीहा बरामद किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 163/24 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 4/25 शस्त्र अधि0 बनाम 06 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। पूर्व में मुकदमा उपरोक्त में 04 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी तथा 02 अभियुक्त 01. ओसामा कुरैशी पुत्र आफताब उर्फ पप्पू 02. फरदीन कुरैशी पुत्र शब्बू उर्फ जान मोहम्मद साकि0 बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ लगातार फरार चल रहे है। फरार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 15-15 हजार का इनाम घोषित किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 29.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 15 हजार का इनामिया अभियुक्त मोहम्मद फरदीन पुत्र जान मोहम्मद उर्फ शब्बू निवासी ग्राम बखरा, थाना सरायमीर आजमगढ़ को डेमरी मोड़ से समय करीब 23.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 629/24 धारा 9/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/आपराधिक इतिहास-

मोहम्मद फरदीन पुत्र जान मोहम्मद उर्फ शब्बू निवासी ग्राम बखरा, थाना सरायमीर आजमगढ़(15 हजार रूपये इनामिया)

1. मु0अ0सं0 163/24 धारा 3/5/8 गोवध निवारण व अधि0 4/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 629/24 धारा 9/25 आयुध अधि0 थाना सरायमीर,जनपद-आजमगढ़

फरार अभियुक्त(15 हजार रूपये इनामिया)-

01. फरदीन कुरैशी पुत्र शब्बू उर्फ जान मोहम्मद साकि0 बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बरामदगी-

एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस



02. थाना-निजामाबाद:- दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 04.06.24 को वादी थाना निजामाबाद की नाबालिक पुत्री को अभियुक्त राहुल गुप्ता पुत्र अर्जुन गुप्ता निवासी कस्बा निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 261/24 धारा 363,366 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में बाद बयान अपहृता व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 IPC व 3/4(2) पास्को एक्ट की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 30.11.2024 को उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राहुल गुप्ता पुत्र अर्जुन गुप्ता निवासी कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को शेरपुर तिराहा से समय करीब 9.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।



03.थाना-कंधरापुर:- चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार 02 बालअपचारी पुलिस अभिरक्षा में

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.11.2024 को आवेदक अंशू सिंह विसेन पुत्र श्री विजयनरायन सिंह ग्राम कम्हेनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 27/11/24 को रात्रि 9.45 बजे NH 233 हाईवे पर ग्राम कम्हेनपुर के समीप निमंत्रण से आते समय गाडी संख्या UP 53 JT 5995 पिकअप पर लगभग 5 पीस पेड़ की सेप्टी जाली को चार व्यक्तियों द्वारा चोरी करके लादा जा रहा था हमारे शोर गुल करने पर उपरोक्त चारों व्यक्ति जाली लेकर भाग गये जिसके सम्बन्ध में थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 329/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. बनाम UP53JT5995 पिकअप गाड़ी व 04 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 29.11.2024 को उ0नि0 वरूणेश कुमार मिश्र मय हमराह के साथ रात्रि में चेकिंग के लिए थाना हाजा से गस्त कर रहे थे कि जैसे ही सेहदा अन्डरपास से भंवरनाथ की तरफ आगे बढ़े वन विभाग गेट से करीब 50 मीटर आगे पहुंचे तो देखा कि मुख्य सड़क के डिवाइडर पर लगी हुई पौधो की सुरक्षार्थ लोहे की जाली जो वन विभाग द्वारा लगायी गयी है को रोड के किनारे खड़ी वाहन पिकअप हाफ डाला वाहन सख्यां UP 53 JT 5995 जिस पर पहले से कुछ लोहे की जाली लदी हुई है वहीं पास में कुछ लोग रोड के मध्य लगी हुई लोहे की जालियों को उखाड़ने की फिराक में थे जहाँ से अभियुक्तों 1. सूरज यादव पुत्र मोतीलाल यादव निवासी पड़ईनिया थाना गोलाबाजार जनपद गोरखपुर उम्र करीब 19 वर्ष 2. बाबूलाल यादव पुत्र लालमन यादव निवासी कोहरा बुजुर्ग थाना गोलाबाजार जनपद गोरखपुर उम्र करीब 23 वर्ष 3. मोहम्मद इस्लाम पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी परसा अमिलावां थाना गोलबाजार जिला गोरखपुर उम्र करीब 23 वर्ष 4. 02 बाल अपचारी को समय करीब 23.45 पुलिस हिरासत में लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय क्रिया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. सूरज यादव पुत्र मोतीलाल यादव निवासी पड़ईनिया थाना गोलाबाजार जनपद गोरखपुर
 - 1.मु0अ0सं0 403/22 धारा 379/411/413 भादवि थाना गगहा जनपद गोरखपुर
 - 2.मु0अ0सं0 405/22 धारा 379/411/413 भादवि थाना गगहा जनपद गोरखपुर
 - 3.मु0अ0सं0 452/22 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना गगहा जनपद गोरखपुर
 - 4.मु0अ0सं0 26/22 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना गोला जनपद गोरखपुर
 - 5.मु0अ0सं0 26/22 धारा 411/413 भादवि थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
 - 6.मु0अ0सं0 52/22 धारा 379/411 भादवि थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
 7. मु0अ0स0 329/24 धारा 303(2),317(2) BNS थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ
 - 8.मु0अ0स0 200/24 धारा 331(4), 305(1), 317(2) BNS थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ
 9. मु0अ0स0 317/24 धारा 331(4), 305, 317(2) BNS थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ तथा
2. बाबूलाल यादव पुत्र लालमन यादव निवासी कोहरा बुजुर्ग थाना गोलाबाजार जनपद गोरखपुर
 1. मु0अ0स0 329/24 धारा 303(2),317(2) BNS
 2. मु0अ0स0 200/24 धारा 331(4),305(1),317(2) BNS
 3. मु0अ0स0 317/24 धारा 331(4),305,317(2) BNS थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ ।
3. मोहम्मद इस्लाम पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी परसा अमिलावां थाना गोलबाजार जिला गोरखपुर
 1. मु0अ0स0 329/24 धारा 303(2),317(2) BNS
 2. मु0अ0स0 200/24 धारा 331(4),305(1),317(2) BNS
 3. मु0अ0स0 317/24 धारा 331(4),305,317(2) BNS थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ ।
04. 02 बाल अपचारी दोनों के विरुद्ध
 1. मु0अ0स0 329/24 धारा 303(2),317(2) BNS
 2. मु0अ0स0 200/24 धारा 331(4),305(1),317(2) BNS
 3. मु0अ0स0 317/24 धारा 331(4),305,317(2) BNS थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ ।

बरामदगी-

- 01.1700/- रू0 नगद
- 02.एक अदद पिकप हाफ डाला वाहन सं. UP 53 J T 5995 रंग सफेद



04.थाना-कोतवाली:- दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 29.11.2024 को वादी मिठाईलाल राजभर पुत्र स्व मूरत राजभर निवासी ग्राम कोलहटा कमाल, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि लगभग डेढ़ साल पूर्व वादी की पुत्री की शादी अजय राजभर पुत्र तिराजल राजभर निवासी गोरिया जलालपुर थाना बिलरियागंज, जिला आजमगढ़ के साथ हुई थी, जिसे उसके पति अजय राजभर, ससुर निरंजन राजभर सास सावित्री व जीजा दीपू राजभर दहेज को लेकर काफी प्रताड़ित किया जाता था। दिनांक 29.11.2024 को समय करीब 8.00 बजे सुबह प्रार्थी को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ से सुबह लगभग 8.00 बजे फोन आया कि तुम्हारी पुत्री की मौत हो गयी है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि प्रार्थी की पुत्री को उसके पति अजय राजभर, ससुर तिरांजल राजभर सास सावित्री व जीजा दीपू राजभर दहेज को द्वारा मार दिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 641/24 धारा - 85/80(2)/351(3) बीएनएस व 3 /4 डीपी एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 30.11.2024 उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों 1. अजय राजभर पुत्र निरंजन राजभर उम्र 25 वर्ष, 2. निरंजन राजभर पुत्र स्व0 पलटन राजभर उम्र 58 वर्ष निवासीगण गोरिया जलालपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को जिला चिकित्सालय आजमगढ़ से समय करीब 09.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

